



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450]
No. 450]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2006/भाद्र 29, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2006/BHADRA 29, 1928

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 580(अ).—मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन तथा कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 के खण्ड 6 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 27 अक्टूबर, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 705(अ) का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिसूचना के अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा न किए गए कार्यों को छोड़कर केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्याधीन तेल विपणन कंपनियों भारतीय मानक ब्यूरो की विशिष्टताओं के अनुरूप 5 प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री निम्नलिखित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में करेंगी :-

क्रम सं.	राज्य	क्रम सं.	राज्य
1.	आंध्र प्रदेश	11.	केरल
2.	बिहार	12.	महाराष्ट्र
3.	छत्तीसगढ़	13.	मध्य प्रदेश
4.	दिल्ली	14.	उड़ीसा
5.	गोवा	15.	पंजाब
6.	गुजरात	16.	राजस्थान
7.	हरियाणा	17.	तमिलनाडु
8.	हिमाचल प्रदेश	18.	उत्तर प्रदेश
9.	झारखण्ड	19.	उत्तरांचल
10.	कर्नाटक	20.	पश्चिम बंगाल

क्रम सं.	केन्द्र शासित राज्य	क्रम सं.	केन्द्र शासित राज्य
1.	दमन और दीव	3.	चंडीगढ़
2.	दादरा और नगर हवेली	4.	पाण्डिचेरी

2. यह अधिसूचना 1-11-2006 से प्रभावी होगी ।

3. केन्द्र सरकार स्वतः अथवा उसे भेजे गए किसी संदर्भ पर तथ्यों के विधिवत् विचार-विमर्श के बाद, एक आदेश द्वारा क्षेत्रों और आपूर्ति किए जाने वाले एथेनोल मिश्रित पेट्रोल में एथेनोल के प्रतिशत में संशोधन कर सकती है और उसके लिए अवधि विनिर्दिष्ट कर सकती है ।

[फा. सं. पी-45018/20/2002-सी सी (खण्ड VIII)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2006

G.S.R. 580(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), read with clause 6 of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices), Order, 2005, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas number G.S.R. 705(E), dated the 27th October, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that subject to commercial viability, the oil marketing companies shall sell five per cent ethanoh-blended-petrol, as per Bureau of Indian Standards specifications, in the following States and Union Territories, namely :—

Sl. No.	States	Sl. No.	States
1.	Andhra Pradesh	11.	Kerala
2.	Bihar	12.	Maharashtra
3.	Chhatisgarh	13.	Madhya Pradesh
4.	Delhi	14.	Orissa
5.	Goa	15.	Punjab
6.	Gujarat	16.	Rajasthan
7.	Haryana	17.	Tamil Nadu
8.	Himachal Pradesh	18.	Uttar Pradesh
9.	Jharkhand	19.	Uttaranchal
10.	Karnataka	20.	West Bengal

Sl. No.	Union Territories	Sl. No.	Union Territories
1.	Daman and Diu	3.	Chandigarh
2.	Dadra and Nagar Haveli	4.	Pondicherry

2. This notification shall come into force on 1st November, 2006.

3. The Central Government may, *suo motu*, or on a reference made to it, after due consideration of facts, by an order, modify the areas, and the percentage of ethanoh in the ethanoh-blended-petrol that may be supplied, and specify the period for the same.

[F. No. P-45018/20/2002-CC (Vol. VIII)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.